राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 839वी बैठक दिनांक 13.03.2024 का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) मध्यप्रदेश की 839वीं बैठक दिनांक 13.03.2024 को श्री अरूण कुमार भट्ट, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की अध्यक्षता में एप्को, पर्यावरण परिसर, भोपाल में सम्पन्न हुई बैठक में निम्न सदस्य स्वयं/विडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम उपस्थित थे :–

1. श्री अनिल कुमार शर्मा, सदस्य, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।
2. श्री संजीव सिंह, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।

बैठक के प्रारंभ में प्रभारी अधिकारी, सचिवालय, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष एवं सदस्यों का स्वागत किया गया।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गये:–

क्र	प्रकरण क्र.	जिला	अधिसूचित श्रेणी	परियोजना	SEAC द्वारा अनुशंसित/ परिवेश पोर्टल पर आवेदित	प्राधिकरण का निर्णय
1.	9258/2022	शाजापुर	1(a)	पत्थर खदान	For Relist	Relisted एवं SEAC को अग्रेषित
2.	10804/2023	विदिशा	1(a)	फर्शीपत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
3.	9791/2023	ग्वालियर	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	SEAC को पुनः परीक्षण हेतु अग्रेषित
4.	8718/2021	सिवनी	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
5.	8477/2021	सिवनी	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
6.	9911/2023	भोपाल	1(a)	पत्थर एवं एम सैण्ड खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन	स्वीकृत
7.	9682/2023	रतलाम	1(a)	पत्थर एवं एम सैण्ड खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन	स्वीकृत
8.	10868/2023	आगर–मालवा	1(a)	पत्थर एवं एम सैण्ड खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन	स्वीकृत
9.	10354/2023	खरगौन	1(a)	पत्थर एवं एम सैण्ड खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन	स्वीकृत
10.	10825/2023	छतरपुर	1(a)	पत्थर एवं एम सैण्ड खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन	स्वीकृत
11.	144/2008	सतना	1(a)	बाक्साईट एवं ऑकर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति मे वैद्यता विस्तार	स्वीकृत
12.	10891/2023	देवास	1(a)	पत्थर एवं एम सैण्ड खदान	For ToR	स्वीकृत
13.	10822/2023	खरगौन	1(a)	पत्थर एवं एम सैण्ड खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन	स्वीकृत
14.	10183/2023	खरगौन	1(a)	पत्थर एवं एम सैण्ड खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	SEAC को पुनः परीक्षण हेतु अग्रेषित

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

15.	9650 / 2023	छतरपुर	1(a)	पत्थर एवं एम सैण्ड खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
16.	8492 / 2021	टीकमगढ़	1(a)	क्वार्टज खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	Delist यथावत
17.	9933 / 2023	सतना	1(a)	चूना पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
18.	9932 / 2023	सतना	1(a)	चूना पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
19.	5708 / 2018	भोपाल	8(a)	Residential Project	बैंक गारंटी विमुक्त किये जाने	Deferred
20.	5738 / 2018	भोपाल	8(a)	Residential Project	बैंक गारंटी विमुक्त किये जाने	स्वीकृत
21.	5780 / 2018	भोपाल	8(a)	Residential Project	बैंक गारंटी विमुक्त किये जाने	स्वीकृत
22.	7523 / 2020	भोपाल	8(a)	Residential Project	बैंक गारंटी विमुक्त किये जाने	Deferred
अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अतिरिक्त एजेण्डा						
23.	7881 / 2020	सागर	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण	स्वीकृत
24.	7302 / 2020	अशोकनगर	1(a)	ग्रेनाईट खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण	स्वीकृत
25.	10666 / 2023	ग्वालियर	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
26.	10580 / 2023	बैतूल	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति संशोधन	स्वीकृत
27.	10731 / 2023	बैतूल	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति संशोधन	स्वीकृत

1. **प्रकरण क्र. 9258 / 2022** परियोजना प्रस्तावक मेसर्स कंजा केशर स्टोन क्वेरी, श्री भगवान सिंह निवासी– माकान न. –39 वार्ड न.–3 मेन रोड राजपूत मोहल्ला, कंजा जिला शाजापुर (म..प्र.) –द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 10180 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.00 हेक्टेयर, खसरा नं. 1405 ,1410 ग्राम कंजा , तहसील व जिला शाजापुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 695वी बैठक दिनांक 21.11.2023 में उक्त प्रकरण में निम्नानुसार अनुशंसा की गई है :–

".....The committee deliberated on the above and was of opinion that if PP's are not submitting desired information even after 60 days of appraisal their cases may be recommended for delisting and respective case files may be sent to SEIAA for onward necessary action assuming that PP is not

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

interested to continue with the project. If later on PP interested in continuing with the proposal, they shall request SEIAA for relisting with proper justification for the same.

In light of the above cases mentioned on S. No. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 13 and 14 are proposed to be delete, however, the cases in which reply has been submitted i.e. S. No. 2, 5, 9, 10 and 12 shall be scheduled in the fourthcoming meeting of SEAC

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण को Delist किया जाता है। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईमेल दिनांक 07.03.2024 के माध्यम से प्रकरण को Relist किये जाने का अनुरोध किया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी को मान्य करते हुए प्रकरण को Relist कर SEAC को परीक्षण हेतु अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक व सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

2. **प्रकरण क्र. 10804/2023** परियोजना प्रस्तावक श्री निखिल चौहान आत्मज श्री कृष्णपाल सिंह चौहान, निवासी– 15, ग्राम पटरा, तहसील पठारी, जिला विदिशा (म0प्र0) द्वारा फर्शीपत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 4500 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 177, ग्राम पटरा, तहसील पठारी, जिला विदिशा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 709वी बैठक दिनांक 04.01.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण की 829वी बैटक दिनांक 09.02.2024 में प्रकरण में विस्तृत चर्चा एवं परीक्षण उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

उक्त प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार खदान क्षेत्र में कुल 08 पेड है जिनमें से कुल 04 पेड काटे जाना प्रस्तावित है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण (कम से कम 04 फिट उंचाई तक के पौधों का रोपण) के लक्ष्य को पूर्ण कर स्थल के फोटोग्राफ मय अक्षांश देशांश सहित एवं साथ ही वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध जल स्त्रोत तथा प्रतिदिन जल की उपलब्ध मात्रा की जानकारी 15 दिवस में परिवेश पोर्टल पर अपलोड की जाये। तबतक प्रकरण को Delist किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जायें।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईमेल दिनांक 01.03.2024 के माध्यम से उपरोक्त जानकारी प्रस्तुत कर पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी **जाने का अनुरोध किया गया है।**

(संजीव सिंह)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी को मान्य करते हुए प्रकरण को Relist किया जाता है एवं प्रकरण में SEAC की 701वी बैठक दिनांक 15.12.2023 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तो (परिशिष्ट–2) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला विदिशा का पत्र क. 1605–06 दिनांक 21.06..2023 अनुसार 10 वर्ष की सैद्वातिंक मंजूरी प्रदान की गई है। अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 20.06.2033 तक वैध मान्य रहेगी।

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद वृक्षों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

3. **प्रकरण क्र. 9791/2023** परियोजना प्रस्तावक मेसर्स ओम श्री स्टोन क्रेशर, पार्टनर श्रीमती साधना शर्मा पत्नी श्री संजय शर्मा, निवासी– हाल–117, गार्डनहोम फेस–3, अल्कापुरी, जिला ग्वालियर (म0प्र0) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 90,000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.220 हे0 खसरा 11/1/1 एवं 11/2/1, ग्राम गंगापुर, तहसील डबरा, जिला ग्वालियर (म0प्र0)–की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 651वी बैठक दिनांक 09.06.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 793 दिनांक 21.06.2023 में प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित माईनिंग प्लान के अक्षांश देशांश के अनुसार गूगल ईमेज के आधार पर प्रस्तावित खदान श्री सुमित बजाज के नाम स्वीकृत खदान के अंदर ओवरलेप होना परिलक्षित है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना में ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं की गई है जबकि प्रस्तावित खदान की उत्पादन क्षमता 90000 घनमीटर प्रतिवर्ष जो कि बिना ब्लास्टिंग के उत्खनन संभव प्रतीत नहीं होता है। प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में कलस्टर में सम्मिलित खदानों में DEIAA/SEIAA द्वारा जारी की गई पर्यावरण स्वीकृति की शर्तो विशेष रूप से CER एवं Plantation का परीक्षण करवाया जाये। अतः उपरोक्त के संबंध में जिला कलेक्टर, ग्वालियर से 15 दिवस में प्रस्तावित खदान का संबंधित अधिकारी से स्थल निरीक्षण करवाकर स्पष्ट अभिमत प्राप्त किया जाये। तबतक प्रकरण को Delist किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

उपरोक्त जानकारी के संबंध में जिला खनिज अधिकारी, ग्वालियर द्वारा के पत्र क. 324 दिनांक 28.02.2024 प्रस्तुत किया गया।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा जिला खनिज अधिकारी द्वारा प्रस्तुत पत्र का परीक्षण किया गया जिसमें पाया गया कि उक्त वांछित जानकारी अपूर्ण प्रस्तुत की गई है एवं जिला कलेक्टर द्वारा अनुमोदित भी नहीं है। अतः प्राधिकरण द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श निर्णय

(संजीव सिंह)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

लिया गया कि उक्त प्रकरण को Relist करते हुए उपरोक्त जानकारी व पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये तथा परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

4. **प्रकरण क्र. 8718/2021** परियोजना प्रस्तावक श्रीमती लक्ष्मी साहू, पत्नी श्री दुर्गा प्रसाद साहू निवासी गल्ला मंडी, तहसील केवलारी जिला सिवनी (म0प्र0) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 1,03,544 घनमीटर प्रतिवर्ष रकबा 3.93 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 100, 101/1, 101/2, 105/2, 106, ग्राम डुंगरिया, तहसील व जिला सिवनी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 684वी बैठक दिनांक 29.09.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा निम्नलिखित शर्त सहित की गई है :–

"..... कुल रकबा 4.5 हे. मे से कुछ भाग जनजाति समुदाय का है। उक्त जमीन के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा भू–स्वामी के साथ हुये सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि, जिलाध्यक्ष महोदय के स्तर पर इस आशय का परीक्षण भू–राजस्व संहिता 1959 के अंतगर्त इस प्रकार के प्रकरणो में किये गये उपबंधो/प्रावधानो के अनुरूप किया जावे । खनन् कार्य से प्रति एकड प्रति वर्ष समस्त व्यय कम करने के पश्चात कुल शुद्ध आय कितनी होगी, एवं उसी के आधार पर लाभ हानि को देखते हुये भूमि धारक को देय राशि का निर्धारण किया जाना चाहिए।....."

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक एवं भू–स्वामी कलेक्टर, सिवनी के समक्ष उपस्थिति होकर भू–स्वामी की सहमति को कलेक्टर जबलपुर से अभिप्रमाणित करवाकर प्रस्तुत करें। तबतक प्रकरण को Delist किया जाता है। तदानुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा आनलाईन ADS दिनांक 03.03.2024 के माध्यम से उपरोक्त जानकारी प्रस्तुत कर पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने का अनुरोध किया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी को मान्य करते हुए प्रकरण को **Relist** किया जाता है एवं प्रकरण में **SEAC** की 684वी बैठक दिनांक **29.09.2023 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–2) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–**

(i) **कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिवनी का पत्र क. 366–67 दिनांक 19.07.2021 अनुसार 10 वर्ष की सैद्वातिंक मंजूरी प्रदान की गई है। अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 18.07.2031 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) **क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लांन (Cluster EMP) का समावेश ई.आई.ए. में किया जाना आवश्यक है। अतः एक Site Specific Cluster EMP को EIA के निष्कर्षों के आधार पर बनाया जाये, जिसे क्रियान्वित करने के लिये क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदान मालिकों की सहमति से**

(संजीव सिंह)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

एक Environment Cell क गठन किया जाये, जिसमें जिला प्रशासन, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथ क्लस्टर की सभी खदानों के प्रतिनिधि शामिल हो। इसी तरह सभी खदान मालिक मिलकर एक समिति का गठन करें, ताकि Cluster EMP के प्रावधानों तथा पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का पालन मिलकर कर सकें। इस समिति को सुचारू रूप से नियमित क्रियान्वित करने के लिये एक रूपरेखा तैयार की जाये, ताकि समिति के गठन तथा उसके क्रियाकलापों में आपसी समन्वय तथा पर्यावरण के कार्यों को सुचारू रूप से क्लस्टर में लागू करने में आसानी हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त के संबंध में संबंधित खदान मालिकों से सहमति लेकर उपरोक्त विषयों पर जिला प्रशासन से समन्वय कर एक माह के अंदर Cluster EMP, समिति के गठन इत्यादि के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत किया जाये।

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लांन के अंतर्गत उल्लेखित गतिविधियों के कियान्वयन हेतु क्लस्टर में सम्मिलित समस्त खदानों के परियोजना प्रस्तावकों द्वारा उक्त राशि जिला स्तर पर डिस्ट्रिक मिनरल फाउंडेशन (डीएमएफ) खातें में जमा की जावे। खनन् क्षेत्र के क्षेत्रफल व उत्पादन के आधार पर अनुपातिक राशि का निर्धारण जिलाध्यक्ष के स्तर पर किया जायेगा।

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला प्रशासन की निगरानी में खनिज विभाग के समन्वय से जिला स्तरीय अन्य संबंधित विभाग (जैसे वन विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी, लोक निर्माण विभाग तथा ग्राम पंचायत आदि) के माध्यम से क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत प्रस्तावित गतिविधियों के कियान्वयन सुनिश्चित किया जावें एवं माईनिंग अधिकारी, परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रत्येक 06 माह में प्रस्तावित क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेन्ट प्लान का अभिप्रमाणित अनुपालन प्रतिवेदन तथा राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में मौजूद वृक्षों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।

(vi) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

5. **प्रकरण क्र. 8477/2021** परियोजना प्रस्तावक श्री रविकांत साहू, आत्मज श्री दुर्गा प्रसाद साहू निवासी गल्ला मंडी तहसील केवलोरी, जिला सिवनी (म0प्र0) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 1,06,280 घनमीटर प्रतिवर्ष रकबा 4.320 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 5/2, 98/2, 99/1, 99/2, ग्राम डुंगरिया, तहसील व जिला सिवनी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 684वी बैठक दिनांक 29.09.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा निम्नलिखित शर्त सहित की गई है :–

(संजीव सिंह)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

"..... कुल रकबा 4.320 हे. मे से कुछ भाग जनजाति समुदाय का है, उक्त जमीन के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा भू-स्वामी के साथ हुये सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि, जिलाध्यक्ष महोदय के स्तर पर इस आशय का परीक्षण भू-राजस्व संहिता 1959 के अंतगर्त इस प्रकार के प्रकरणो में किये गये उपबंधो/प्रावधानो के अनुरूप किया जावे । खनन् कार्य से प्रति एकड प्रति वर्ष समस्त व्यय कम करने के पश्चात कुल शुद्ध आय कितनी होगी, एवं उसी के आधार पर लाभ हानि को देखते हुये भूमि धारक को देय राशि का निर्धारण किया जाना चाहिए।....."

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक एवं भू-स्वामी कलेक्टर, सिवनी के समक्ष उपस्थिति होकर भू-स्वामी की सहमति को कलेक्टर जबलपुर से अभिप्रमाणित करवाकर प्रस्तुत करें। तबतक प्रकरण को Delist किया जाता है। तदानुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा आनलाईन ADS दिनांक 03.03.2024 के माध्यम से उपरोक्त जानकारी प्रस्तुत कर पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने का अनुरोध किया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी को मान्य करते हुए प्रकरण को Relist किया जाता है एवं प्रकरण में **SEAC** की 684वी बैठक दिनांक **29.09.2023 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक-ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-2) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-**

(i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिवनी का पत्र क.1185-86 दिनांक 18.12.2020 अनुसार 10 वर्ष की सैद्वातिंक मंजूरी प्रदान की गई है। अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 18.12.2030 तक वैध मान्य रहेगी।

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **कच्ची सड़क से न्यूनतम 50 मीटर तक** " नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(iii) लीज में सम्मिलित सभी खसरे जनजाति समुदाय से संबंधित है अतः भू-राजस्व के प्रावधानों के साथ कार्यवाही करने के उपरांत ही लीज एग्रीमेन्ट किया जाये।

(iv) **क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लांन (Cluster EMP) का समावेश ई.आई.ए. में किया जाना आवश्यक है। अतः एक Site Specific Cluster EMP को EIA के निष्कर्षों के आधार पर बनाया जाये, जिसे क्रियान्वित करने के लिये क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदान मालिकों की सहमति से एक Environment Cell क गठन किया जाये, जिसमें जिला प्रशासन, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथ क्लस्टर की सभी खदानों के प्रतिनिधि शामिल हो। इसी तरह सभी खदान मालिक मिलकर एक समिति का गठन करें, ताकि Cluster EMP के प्रावधानों तथा पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का**

(संजीव सिंह)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

पालन मिलकर कर सकें। इस समिति को सुचारू रूप से नियमित क्रियान्वित करने के लिये एक रूपरेखा तैयार की जाये, ताकि समिति के गठन तथा उसके क्रियाकलापों में आपसी समन्वय तथा पर्यावरण के कार्यों को सुचारू रूप से क्लस्टर में लागू करने में आसानी हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त के संबंध में संबंधित खदान मालिकों से सहमति लेकर उपरोक्त विषयों पर जिला प्रशासन से समन्वय कर एक माह के अंदर Cluster EMP, समिति के गठन इत्यादि के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत किया जाये।

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लांन के अंतर्गत उल्लेखित गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु क्लस्टर में सम्मिलित समस्त खदानों के परियोजना प्रस्तावकों द्वारा उक्त राशि जिला स्तर पर डिस्ट्रिक मिनरल फाउंडेशन (डीएमएफ) खातें में जमा की जावे। खनन् क्षेत्र के क्षेत्रफल व उत्पादन के आधार पर अनुपातिक राशि का निर्धारण जिलाध्यक्ष के स्तर पर किया जायेगा।

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला प्रशासन की निगरानी में खनिज विभाग के समन्वय से जिला स्तरीय अन्य संबंधित विभाग (जैसे वन विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी, लोक निर्माण विभाग तथा ग्राम पंचायत आदि) के माध्यम से क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत प्रस्तावित गतिविधियों के क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जावें एवं माईनिंग अधिकारी, परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रत्येक 06 माह में प्रस्तावित क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेन्ट प्लान का अभिप्रमाणित अनुपालन प्रतिवेदन तथा राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में मौजूद वृक्षों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।

(viii) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

6. प्रकरण क्र. 9911/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री अनिल कुमार मालवीय आत्मज स्व. श्री हरि नारायण मालवीय, निवासी– मकान नं0 06, भवानी नगर, इन्द्रपुरी, जिला भोपाल (म0प्र0)–456224 द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर 46500 घ0मी0 प्रतिवर्ष, रकबा 3.997 हेक्टेयर, खसरा 177/4, ग्राम खादमपुर, तहसील बैरसिया, जिला भोपाल (म0प्र0)–की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) 831 वी बैठक दिनांक 20.02.2024 में लिये गये निर्णय अनुसार प्राधिकरण के पत्र दिनांक 29.02.2024 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईमेल दिनांक 01.03.2024 के माध्यम से पर्यावरणीय स्वीकृति में एम सैण्ड उत्पादन क्षमाता 31,000 घनमीटर प्रतिवर्ष अंकित करने का अनुरोध किया हैं ।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) प्रकरण मे परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध, ऑनलाईन आवेदन, अनुमोदित खनन योजना एवं SEAC की 711वी बैठक दिनांक 09.01.2024

(संजीव सिंह)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

में की गई अनुशंसा को मान्य करते हुये पूर्व मे जारी पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र दिनांक 29.02.2024 में उत्पादन क्षमता पत्थर 46500 घनमीटर प्रतिवर्ष के साथ एम सैण्ड उत्पादन क्षमाता 31000 घनमीटर प्रतिवर्ष अंकित करते हुये संशोधन किये जाने का निर्णय लिया जाता है। पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्ते यथावत रहेगी। परियोजना प्रस्तावक व सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

7. **प्रकरण क्र. 9682/2023** परियोजना प्रस्तावक मेसर्स कामधेनु स्टोन एण्ड सेण्ड, पार्टनर श्री संजय पटवाला, निवासी–24, टीचर कॉलोनी, जिला रतलाम (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर 35000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 126 भाग, रकबा 3.750 हेक्टेयर, ग्राम बिवडोद, तहसील रतलाम, जिला रतलाम (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) 831 वी बैठक दिनांक 20.02.2024 में लिये गये निर्णय अनुसार प्राधिकरण के पत्र दिनांक 01.03.2024 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईमेल दिनांक 01.03.2024 के माध्यम से पर्यावरणीय स्वीकृति में एम सैण्ड उत्पादन क्षमाता 90000 घनमीटर प्रतिवर्ष अंकित करने का अनुरोध किया हैं ।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) प्रकरण मे परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध, ऑनलाईन आवेदन, अनुमोदित खनन योजना एवं SEAC की 712वी बैठक दिनांक 10.01.2024 में की गई अनुशंसा को मान्य करते हुये पूर्व मे जारी पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र दिनांक 01.03.2024 में उत्पादन क्षमता पत्थर 35000 घनमीटर प्रतिवर्ष के साथ एम सैण्ड उत्पादन क्षमाता 90000 घनमीटर प्रतिवर्ष अंकित करते हुये संशोधन किये जाने का निर्णय लिया जाता है। पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्ते यथावत रहेगी। परियोजना प्रस्तावक व सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

8. **प्रकरण क्र. 10868/2023** परियोजना प्रस्तावक श्री जगदीश सौंधिया आत्मज श्री गंगाराम सौंधिया, निवासी– ग्राम गंगापुर, तहसील बडौद, जिला शाजापुर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 8010 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.50 हेक्टेयर, खसरा 395, ग्राम बोरखेड़ी लड़ा, तहसील सौंसर, जिला आगर–मालवा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) 832 वी बैठक दिनांक 21.02.2024 में लिये गये निर्णय अनुसार प्राधिकरण के पत्र दिनांक 05.03.2024 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईमेल दिनांक 01.03.2024 के माध्यम से पर्यावरणीय स्वीकृति में एम सैण्ड उत्पादन क्षमाता 5073 घनमीटर प्रतिवर्ष अंकित करने का अनुरोध किया हैं ।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) प्रकरण मे परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध, ऑनलाईन आवेदन, अनुमोदित खनन योजना एवं SEAC की 714वी बैठक दिनांक 18.01.2024 में की गई अनुशंसा को मान्य करते हुये पूर्व मे जारी पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

दिनांक 05.03.2024 में उत्पादन क्षमता पत्थर 8010 घनमीटर प्रतिवर्ष के साथ एम सैण्ड उत्पादन क्षमाता 5073 घनमीटर प्रतिवर्ष अंकित करते हुये संशोधन किये जाने का निर्णय लिया जाता है। पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तें यथावत रहेगी। परियोजना प्रस्तावक व सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

9. **प्रकरण क्र. 10354/2023** परियोजना प्रस्तावक मेसर्स श्री वल्लभ स्टोन क्रेशर, पार्टनर श्री संजय पटेल, निवासी– ग्राम पिपलझोपा, तहसील कसरावद, जिला खरगौन (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 10000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.00 हेक्टेयर, खसरा 129/2, 129/3, 129/4, 129/5, 129/3, 129/6, 129/7, 129/8, ग्रम पिपलझोपा, तहसील कसरावद, जिला खरगौन (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) 832 वी बैठक दिनांक 21.02.2024 में लिये गये निर्णय अनुसार प्राधिकरण के पत्र दिनांक 05.03.2024 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईमेल दिनांक 29.02.2024 के माध्यम से पर्यावरणीय स्वीकृति में एम सैण्ड उत्पादन क्षमाता 15000 घनमीटर प्रतिवर्ष अंकित करने का अनुरोध किया हैं ।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) प्रकरण मे परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध, ऑनलाईन आवेदन, **अनुमोदित खनन योजना एवं SEAC की 714वी बैठक दिनांक 18.01.2024 में की गई अनुशंसा को मान्य करते हुये पूर्व मे जारी पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र दिनांक 05.03.2024 में उत्पादन क्षमता पत्थर 10000 घनमीटर प्रतिवर्ष के साथ एम सैण्ड उत्पादन क्षमाता 15000 घनमीटर प्रतिवर्ष अंकित करते हुये संशोधन किये जाने का निर्णय लिया जाता है। पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तें यथावत रहेगी। परियोजना प्रस्तावक व सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।**

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

10. **प्रकरण क्र. 10825/2023** परियोजना प्रस्तावक मेसर्स अजय ग्रेनाईट स्टोन क्रेशर, पार्टनर श्री दिनेश सिंह, निवासी– ज्योराहा, तहसील लवकुशनगर, जिला छतरपुर (म.प्र.) द्वारा पत्थर एवं एम.सेण्ड खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर 52665 घनमीटर प्रतिवर्ष, एम.सेण्ड 50000 घनमीटर प्रतिवर्ष खसरा नं. 1391, रकबा 4.00 हेक्टेयर, ग्राम दिदवारा, तहसील लवकुशनगर, जिला छतरपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) 829 वी बैठक दिनांक 09.02.2024 में लिये गये निर्णय अनुसार प्राधिकरण के पत्र दिनांक 19.02.2024 द्वारा ToR जारी किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईमेल दिनांक 29.02.2024 के माध्यम से ToR में उत्पादन क्षमता पत्थर 10000 घनमीटर प्रतिवर्ष, एम.सेण्ड 8000 घनमीटर प्रतिवर्ष एवं ओवर वर्डेन 5306 घनमीटर प्रतिवर्ष के स्थान पर पत्थर 52665 घनमीटर प्रतिवर्ष, एम.सेण्ड 50000 घनमीटर प्रतिवर्ष अंकित करने का अनुरोध किया हैं ।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) प्रकरण मे परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध, ऑनलाईन आवेदन, **अनुमोदित खनन योजना एवं SEAC की** 710 वी

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

बैठक दिनांक 05.01.2024 **में की गई अनुशंसा को मान्य करते हुये पूर्व मे जारी ToR पत्र दिनांक 19.02.2024 में उत्पादन क्षमता पत्थर 10000 घनमीटर प्रतिवर्ष, एम.सेण्ड 8000 घनमीटर प्रतिवर्ष एवं ओवर बर्डेन 5306 घनमीटर प्रतिवर्ष के स्थान पर पत्थर 52665 घनमीटर प्रतिवर्ष, एम.सेण्ड 50000 घनमीटर प्रतिवर्ष अंकित करते हुये संशोधन किये जाने का निर्णय लिया जाता है। पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्ते यथावत रहेगी। परियोजना प्रस्तावक व सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।**

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

11. **प्रकरण क्र. 144/2008** परियोजना प्रस्तावक मेसर्स राकेश एजेन्सी, पता– पोस्ट जैतवारा, जिला सतना (म.प्र.) द्वारा बाक्साईट एवं ऑकर खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 10000 एम. टी.ए. प्रतिवर्ष खसरा नं. 302 भाग, 303 भाग, 304 भाग रकबा 15.62 हेक्टेयर, ग्राम कारीगोही तहसील मझगावॉ, जिला सतना (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति मे वैद्यता विस्तार हेतु आवेदन।

उक्त प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन फार्म–6 में जिला खनिज अधिकारी (खनिज शाखा) सतना द्वारा निष्पादित अनुबंध दिनांक 23.08.2022 (लीज अवधि दिनांक 15.12.2053 तक), नवीन अनुमोदित खनन योजना एवं पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन सहित पर्यावरण स्वीकृति की वैधता विस्तार किये जाने हेतु आवेदन किया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों का परीक्षण उपरांत निर्णय लिया गया कि उक्त प्रकरण को प्राधिकरण की आगामी बैठक में विस्तृत एजेण्डा नोट के साथ प्रस्तुत की जाये।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर पर्यावरणीय स्वीकृति मे वैद्यता विस्तार हेतु निर्धारित प्रपत्र फार्म– 6 पर प्रस्तुत दस्तावेज को पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 14.09.2016 की कंडिका के बिन्दु कमांक 9 iii (a एवं b) के अनुसार मान्य करते हुये पूर्व मे जारी पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र दिनांक 24.07.2013 की अवधि को कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सतना का अनुवंध निष्पादन दिनांक 23.08.2022 के मूल लीज स्वीकृति से 50 वर्ष (15.12.2053 तक) विस्तारित की गई है। अतः उक्त प्रकरण में निम्नानुसार अतिरिक्त अधिरोपित शर्तो एवं पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तो को यथावत रखते हुए पर्यावरण स्वीकृति की वैधता वृद्वि किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) प्रकरण में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र दिनांक 24.07.2013 की शर्ते यथावत रहेगी एवं वैद्वता दिनांक 15.12.2053 तक वैध मान्य रहेगी।

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त विशिष्ट एवं साधारण शर्तों अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित किया जाये एवं भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ईआईए अधिसूचना 2006 एवं कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 26.09.2022 में निहित प्रावधान अनुसार

(संजीव सिंह)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

शर्तों का छःमाही अनुपालन प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से परिवेश पोर्टल अपलोड किया जाये एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भी प्रेषित किया जाये।

(iv) SEIAA द्वारा प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।

12. प्रकरण क्र. 10891/2023 परियोजना प्रस्तावक श्रीमती शकुन्तला पत्नी श्री श्यामलाल निवासी ग्राम चुन्दापुरी खुर्द जिला इन्दौर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर 40,000 घनमीटर प्रतिवर्ष एवं एम–सैण्ड, 60,000 घनमीटर प्रतिवर्ष खसरा नं. 38 रकबा 6.66 हेक्टेयर, ग्राम भिलावली, तहसील बागली जिला देवास (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 715 वी बैठक दिनांक 19.01.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट एवं मानक शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

*राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि चूंकि एम.सेण्ड निर्माण हेतु पूर्व पर्यावरण स्वीकृति आवश्यक नहीं है, इस हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से केवल सी.टी.ई/सी.टी.ओ प्राप्त करना उचित होगा। अतः प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु निर्णय **प्राधिकरण की आगामी बैठक में लिया जायेगा।** परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।*

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में SEAC की 715वी बैठक दिनांक 19.01.2024 की विशिष्ट शर्तो एवं मानक शर्तो (संलग्नक–डी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों एवं प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तो (परिशिष्ट–5) सहित प्रकरण में ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

I. परियोजना प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत, संचालित एवं निरस्त खदानों के पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये। इसके साथ ही प्रस्तावित खदान में पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन के साथ ही इस खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित संचालित खदानों में जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का संबंधित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं, के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में अनिवार्यतः समाहित किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

13. **प्रकरण क्र. 10822/2023** परियोजना प्रस्तावक श्री आशीष जायसवाल आत्मज श्री हरिशंकर जायसवाल, निवासी– टैंगोर पार्क कॉलोनी, जिला खरगौन (म.प्र.) द्वारा पत्थर एवं एम–सेंड खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर–10,000 घनमीटर प्रतिवर्ष, एम–सेंड 8,000 घनमीटर प्रतिवर्ष एवं ओव्हरवर्डन–5,306 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.821 हेक्टेयर, खसरा नं. 54/1, ग्राम सस्याखेड़ी, तहसील भीकनगॉव, जिला खरगौन (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

प्रकरण में राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 829वी बैठक दिनांक 09.02.2024 मे राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 710वी बैठक दिनांक 05.01.2024 में उक्त प्रकरण में की गई पर्यावरणीय स्वीकृति अनुशंसा को मान्य करते हुये पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) 833वी बैठक दिनांक 22.02.2024 में प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि चूंकि एम.सेण्ड निर्माण हेतु पूर्व पर्यावरण स्वीकृति आवश्यक नहीं है, इस हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से केवल सी.टी.ई/सी.टी.ओ प्राप्त करना उचित होगा। अतः प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु निर्णय प्राधिकरण की आगामी बैठक में लिया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक का ई.मेल दिनांक 16.02.2024 द्वारा प्रकरण के कार्यवाही विवरण में उत्पादन क्षमता पत्थर 10000 घनमीटर प्रतिवर्ष एवं एम सैण्ड 8000 घनमीटर प्रतिवर्ष एवं ओवर वर्डेन 5306 घनमीटर प्रतिवर्ष के स्थान पर उत्पादन क्षमता 15000 घनमीटर प्रतिवर्ष अंकित हो गया है जिसे सुधार करने हेतु अनुरोध किया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण मे परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध, ऑनलाईन आवेदन, अनुमोदित खनन योजना एवं SEAC की 710वी बैठक दिनांक 05.01.2024 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में उत्पादन क्षमता 15000 घनमीटर प्रतिवर्ष के स्थान पर उत्पादन क्षमता पत्थर 10000 घनमीटर प्रतिवर्ष एवं एम सैण्ड 8000 घनमीटर प्रतिवर्ष एवं ओवर वर्डेन 5306 घनमीटर प्रतिवर्ष अंकित करते हुये संशोधित पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नानुसार अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) सहित प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) खरगौन के आदेश क्र. 1282 दिनांक 27.09.2023 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक 26.09.2033 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) **खरगौन जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(संजीव सिंह)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

(iii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में मौजूद वृक्षों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।**

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

14. **प्रकरण क्र. 10183/2023** परियोजना प्रस्तावक मेसर्स सुन्दरम् सप्लायर्स प्रो. श्री अमित भावसार, निवासी खरगोन जिला खरगोन (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर 10,080 घनमीटर प्रतिवर्ष एवं एम–सैण्ड, 7,020 घनमीटर प्रतिवर्ष रकबा 2.853 हेक्टेयर, खसरा 05, ग्राम मोमीनपुरा, तहसील खरगोन, जिला खरगोन (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 717वी बैठक दिनांक 24.01.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि चूंकि एम.सेण्ड निर्माण हेतु पूर्व पर्यावरण स्वीकृति आवश्यक नहीं है, इस हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से केवल सी.टी.ई/सी.टी.ओ प्राप्त करना उचित होगा। अतः प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु निर्णय प्राधिकरण की आगामी बैठक में लिया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश अनुसार गूगल ईमेज के आधार पर प्रस्तावित खदान के समीप केशर प्लांन्ट स्थापित है एवं 70 मी. पर आबादी है अतः उपरोक्त पर्यावरण संवेदनशीलता के दृष्टिगत प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

15. **प्रकरण क्र. 9650/2023** परियोजना प्रस्तावक मेसर्स खजुराहो स्टोन (इंडिया) प्रा. लि अधिकृत व्यक्ति श्री नितिश चतुर्वेदी, निवासी 6 किमी. सागर रोड, ढडारी, छतरपुर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता विस्तार 1.50000 टन प्रतिवर्ष से 400000 टनप्रतिवर्ष (पत्थर 171,428 घनमीटर प्रतिवर्ष एवं एम–सैण्ड, 1,14,285 घनमीटर प्रतिवर्ष), रकबा 11.00 हेक्टेयर, खसरा 1293 ग्राम बुदौर, तहसील व जिला छतरपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 718वी बैठक दिनांक 25.01.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि चूंकि एम.सेण्ड निर्माण हेतु पूर्व पर्यावरण स्वीकृति आवश्यक नहीं है, इस हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से केवल सी.टी.ई/सी.टी.ओ प्राप्त करना उचित होगा। अतः प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु निर्णय प्राधिकरण की आगामी बैठक में लिया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(संजीव सिंह)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक के ऑनलाईन आवेदन, अनुमोदित खनन योजना एवं SEAC की 718वी बैठक दिनांक 25.01.2024 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–2) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **संचालनालय भौमिकी तथा, खनिकर्म भोपाल का पत्र क्र. 12598 दिनांक 16.09.2022 के माध्यम से दिनांक 30.01.2023 से 29.01.2033 तक (10 वर्ष) की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक 29.01.2033 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले जलीय निकाय (Waterbody) से न्यूनतम 200 मीटर तक" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। (माननीय एनजीटी (प्रिंसिपल बेंच) के ओए नंबर 304/2019 में जारी निर्देशानुसार पत्थर खदान की अनुमति में संवेदनशील क्षेत्रों से न्यूनतम दूरी के लिये निर्धारित मापदण्ड के दृष्टिगत नॉन ब्लास्टिंग संक्रिया के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग संक्रिया के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी तय है)। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।**

(iii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में मौजूद वृक्षों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।**

(iv) **परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।**

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

16. प्रकरण क्र. 8492/2021 परियोजना प्रस्तावक श्री बृजेश सोनी आत्मज श्री बाबूलाल सोनी, निवासी छोटी देवी मंदिर के पास, जिला टीकमगढ़ (म0प्र0) द्वारा क्वार्टज खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), विस्तार उत्पादन क्षमता 15,000 से 3,00,000 टन प्रतिवर्ष, रकबा 12.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 993/2 ग्राम दरगवां, तहसील टीकमगढ़ जिला टीकमगढ़ (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 673वी बैठक दिनांक 01.09.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उक्त प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की समस्त शर्तों का पूर्णतः अनुपालन कर क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से अभिप्रमाणित करवाकर

(संजीव सिंह)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

अनुपालन प्रतिवेदन सहित अपने अधिकृत पर्यावरण सलाहकार के साथ प्राधिकरण के समक्ष स्पष्टीकरण हेतु उपस्थित होवें। तबतक प्रकरण Delist किया जाता है। तदानुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईमेल दिनांक 11.03.2024 के माध्यम से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की समस्त शर्तों का पूर्णतः अनुपालन कर क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से अभिप्रमाणित करवाकर अनुपालन प्रतिवेदन सहित अपने अधिकृत पर्यावरण सलाहकार के साथ प्राधिकरण के समक्ष स्पष्टीकरण हेतु अनुरोध किया हैं ।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उक्त प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की समस्त शर्तों का परिपालन किये जाने एवं साक्ष्य प्राधिकरण में प्रस्तुत करने के उपरांत प्रकरण पर विचार किया जायेगा तबतक प्रकरण Delist यथावत रखा जाता है। तदानुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

17. प्रकरण क्र. 9933/2023 – परियोजना प्रस्तावक मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेन्ट लि., संयुक्त अध्यक्ष एवं कार्पोरेट हैड डॉ. बी.के. रेड्डी, अहूरा सेन्टर, प्रथम तल, ए–बिंग, महाकाली गुफा रोड़, अंधेरी(ई), मुम्बई (महाराष्ट्रा) द्वारा चूना पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), विस्तार उत्पादन क्षमता चूना पत्थर 0.9 मिलियन टन प्रतिवर्ष से 1.9 मिलियन टन प्रतिवर्ष, रकबा 217.681 हेक्टेयर, खसरा 96, 97, 98, 112, 171, 173, 174, 177, 178/1, 178/2, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 204, 417, 418/1, 418/2, 419, 420, 421, 436, 437, 444, 445, 446, 447, 448/1K, 448/1KH, 448/2, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459/1, 459/2, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 1160/420, 472/2, 472/3, 474/1, 474/2, 474/3 , 322, 323, 324, 355, 356, 357, 358, 359, 360/P, 360/2, 361/1, 361/2, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422/P, 423, 431 , 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20/1, 20/2, 21, 22, 23/1, 23/2, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40/1, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48/1 K, 48/2, 48/3, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57/1, 57/2, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65/1, 65/2, 66, 67, 68, 69/1, 69/2, 70, 71, 72/1, 72/2, 72/3, 81, 82P, 83P, 84, 85, 86, 87, 88/1, 88/2, 88/3K, 88/3KH, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96/1, 96/2, 97, 100/1, 138/1, 138/2, 138/3, 139, 140, 141, 142, 149, 150, 151, 152, ग्राम भदनपुर साउथ पट्टी, भदनपुर नॉर्थ पट्टी एवं उमरॉर, तहसील मैहर, जिला सतना (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 713वी बैठक दिनांक 11.01.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 832वी बैठक दिनांक 21.02.2024 में प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश अनुसार गूगल ईमेज के आधार पर प्रस्तावित खदान के पास मानब बसाहट, लीज क्षेत्र के अंदर पक्की सड़क परिलक्षित हो रही है तथा ग्राउण्ड वाटर बोर्ड की अनापत्ति की अवधि भी समाप्त हो गई व ग्राम पंचायत का ठहराव प्रस्ताव भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसके साथ ही उक्त लीज क्षेत्र के वन क्षेत्र 250 मीटर की परिधि के अंदर स्थित है। अतः उपरोक्त पर्यावरण संवेदनशीलता के दृष्टिगत परियोजना प्रस्तावक अपने अधिकृत पर्यावरण सलाहकार के साथ

(संजीव सिंह)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

स्पष्टीकरण हेतु दस्तावेज सहित प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होवें। तबतक प्रकरण को Delist किया जाता है, तदानुसार परियोजना प्रस्तावक व सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईमेल दिनांक 11.03.2024 के माध्यम से अपने अधिकृत पर्यावरण सलाहकार के साथ प्राधिकरण के समक्ष स्पष्टीकरण हेतु अनुरोध किया हैं।

प्राधिकरण के उपरोक्त निर्णय के परिपालन में परियोजना प्रस्तावक के अधिकृत प्रतिनिधि श्री रतनेश श्रीवास्तव एवं पर्यावरण सलाहकार श्री विनय खण्डेलवाल JM Enviro Net Pvt. Ltd, Gurugram प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित हुए तथा उपरोक्त जानकारी के संबंध में स्पष्टीकरण देते हुए ई–मेल दिनांक 13.03.2024 के माध्यम से जानकारी प्रस्तुत की गई जो निम्नानुसार है :–

1. **मानब बसाहट एवं लीज क्षेत्र के अंदर पक्की सड़क से निर्धारित दूरी छोड़ने के संबंध में सहमति प्रदान की गई।**
2. **ग्राउण्ड वाटर बोर्ड की अनापत्ति प्राप्त किये जाने हेतु दिनांक 06.03.2024 को सेन्ट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड में आवेदन किया गया।**
3. **ग्राम पंचायत भदनपुर साउथ पट्टी, भदनपुर नॉर्थ पट्टी एवं पिपरॉव खण्ड की अनापत्ति प्रस्तुत की गई है।**
4. **उक्त लीज क्षेत्र 250मीटर वन क्षेत्र के अंदर स्थित होने के संबंध में SEAC द्वारा अपने कार्यवाही विवरण के बिन्दु क्र. 9 में लेख किया गया है कि लीज अगर वर्ष 2002 से पूर्व की स्वीकृत है तो उस पर संभागीय आयुक्त की अनुशंसा प्राप्त किया जाना लागू नहीं है।**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक व अपने अधिकृत पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं स्पष्टीकरण को मान्य करते हुए प्रकरण को **Relist** किया जाता है एवं प्रकरण में **SEAC** की 713वी बैठक दिनांक 11.01.2024 की विशिष्ट शर्तो सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–4) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सतना द्वारा निष्पादित पूरक अनुबंध दिनांक 10.08.2022 अनुसार 31.03.2030 तक विस्तारित की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 31.03.2030 तक वैध मान्य रहेगी।

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले पक्की सड़क एवं मानब बसाहट से न्यूनतम 200 मीटर तक" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। (माननीय एनजीटी (प्रिंसिपल बेंच) के ओए नंबर 304/2019 में जारी निर्देशानुसार पत्थर खदान की अनुमति में संवेदनशील क्षेत्रों से न्यूनतम दूरी के लिये निर्धारित मापदण्ड के दृष्टिगत नॉन ब्लास्टिंग संक्रिया के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग संक्रिया के लिए न्यूनतम 200

(संजीव सिंह)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

मीटर की दूरी तय है)। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद वृक्षों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।

(iv) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

18. प्रकरण क्र. 9932/2023 – परियोजना प्रस्तावक मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेन्ट लि., संयुक्त अध्यक्ष एवं कार्पोरेट हैड डॉ. बी.के. रेड्डी, अहूरा सेन्टर, प्रथम तल, ए–बिंग, महाकाली गुफा रोड़, अंधेरी(ई), मुम्बई (महाराष्ट्रा) द्वारा चूना पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), विस्तार उत्पादन क्षमता चूना पत्थर 0.5 मिलियन टन प्रतिवर्ष से 1.8 मिलियन टन प्रतिवर्ष, रकबा 217.681 हेक्टेयर, खसरा Tiloura- 660, 661, 662, 663, 667, 670, 671, 672, 673, 674, 700, 701, 702, 703, 704, 712, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 820, 821, 873, 874, 875, 876, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 923, 924, 925, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, Village Silouti- 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 125/1, 125/2, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 150, 151, 152, 155, 156, 157, 158, 159, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 353, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 105, 106, 107, 108, 109, 160, 161, 105,Village Jurwa- 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40P, 48, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 160, 161, 162, 163, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 59, 60, 61, 45, 46, 158, 159 &Village Sirmilli- 62, 63, 64, 65/1, 65/2, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, ग्राम सिलौटी, सिरमिली, जुरवा एवं तिलौरा, तहसील मैहर, जिला सतना (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 713वी बैठक दिनांक 11.01.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 832वी बैठक दिनांक 21.02.2024 में प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

> ***परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश अनुसार गूगल ईमेज के आधार पर प्रस्तावित खदान के पास मानव बसाहट, लीज क्षेत्र के अंदर पक्की सड़क परिलक्षित हो रही है तथा ग्राम पंचायत का ठहराव प्रस्ताव भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः उपरोक्त पर्यावरण संवेदनशीलता के दृष्टिगत परियोजना प्रस्तावक अपने अधिकृत पर्यावरण सलाहकार के साथ स्पष्टीकरण हेतु दस्तावेज सहित प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होवें। तबतक प्रकरण को Delist किया जाता है, तदानुसार परियोजना प्रस्तावक व सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।***

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईमेल दिनांक 11.03.2024 के माध्यम से अपने अधिकृत पर्यावरण सलाहकार के साथ प्राधिकरण के समक्ष स्पष्टीकरण हेतु अनुरोध किया हैं।

प्राधिकरण के उपरोक्त निर्णय के परिपालन में परियोजना प्रस्तावक के अधिकृत प्रतिनिधि श्री रतनेश श्रीवास्तव एवं पर्यावरण सलाहकार श्री विनय खण्डेलवाल JM Enviro Net Pvt. Ltd, Gurugram प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित हुए तथा उपरोक्त जानकारी के संबंध में स्पष्टीकरण देते हुए ई–मेल दिनांक 13.03.2024 के माध्यम से जानकारी प्रस्तुत की गई जो निम्नानुसार है :–

1. **मानब बसाहट एवं लीज क्षेत्र के अंदर पक्की सड़क से निर्धारित दूरी छोड़ने के संबंध में सहमति प्रदान की गई।**
2. **ग्राउण्ड वाटर बोर्ड की अनापत्ति प्राप्त किये जाने हेतु दिनांक 06.03.2024 को सेन्ट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड में आवेदन किया गया।**
3. **ग्राम पंचायत उमरी फिफरी, बरहीया एवं तिलौरा की अनापत्ति प्रस्तुत की गई है।**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक व अपने अधिकृत पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं स्पष्टीकरण को मान्य करते हुए प्रकरण को Relist किया जाता है एवं प्रकरण में SEAC की 713वी बैठक दिनांक 11.01.2024 की विशिष्ट शर्तो सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–4) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सतना द्वारा निष्पादित पूरक अनुबंध दिनांक 10.08.2022 अनुसार 31.03.2030 तक विस्तारित की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 31.03.2030 तक वैध मान्य रहेगी।**

(संजीव सिंह)	**(अनिल कुमार शर्मा)**	**(अरूण कुमार भट्ट)**
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले पक्की सड़क एवं मानब बसाहट से न्यूनतम 200 मीटर तक" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। (माननीय एनजीटी (प्रिंसिपल बेंच) के ओए नंबर 304/2019 में जारी निर्देशानुसार पत्थर खदान की अनुमति में संवेदनशील क्षेत्रों से न्यूनतम दूरी के लिये निर्धारित मापदण्ड के दृष्टिगत नॉन ब्लास्टिंग संक्रिया के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग संक्रिया के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी तय है)। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद वृक्षों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।

(iv) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 716 वी बैठक दिनांक 23.01.2024 में निम्नानुसार प्रकरणों में बैंक गारंटी विमुक्त किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

19. **Case No. - 5708/2018** M/s Sterling Balajee Mega Ventures, Near Spring Valley, Katara Hills, Bhopal, (M.P.) – 462043. Prior E C for Pride City Phase - II of M/s Sterling Balajee Mega Ventures at Khasra No. – 316/1, Village - Katara, Tehsil - Huzur, Distt. - Bhopal (M.P.) Total Plot Area: 32374.88 Sqm, (3.237 Hect.) Net Planning Area: 39868.60 Sqm. (3.237 Hect.), Total Built--up Area: 32374.88 Sqm., Cat. - 8(a)

20. **Case No. 5738/2018** Manager, DANISH HOUSING COOPERATIVE SOCIETY LIMITED, BF-1, 216-A, Zone-1, (Behind Jyoti Cinema) M. P. Nagar, Bhopal (M.P.)-462011. Prior E C for Construction of Proposed Residential Development on Part of Khasra No. - 69 situated at Danish Hills View Colony Village - Damkheda Kolar Road, Tehsil - Huzur, District - Bhopal (M.P.), Category: 8 (a).

- SEAC . की बैठक 402 दि0. 05/11/19. में की गई बैंक ग्यारंटी रू 19,09,750.00 (रू. उन्नीस लाख नो हजार सात सौ पचास मात्र) के पर्यावरणीय स्वीकृति की अनुशंसा को मान्य करते हुए SEIAA की बैठक 592 दि0. 30/12/19 में लिए गए निर्णय के अनुसार एस.ई.आई. ए. का पत्र क0. 4033 दि0. 16/01/2020 के माध्यम से को इस परियोजना को MPSEIAA द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी।

- MoEF & CC द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 08.03.2018 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार रेमेडिएशन प्लान के implementation को एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिनांक 12.04.23 को स्थल निरिक्षण कर

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

रेमेडिएशन प्लान के implementation के सन्दर्भ में सर्टिफाइड कंप्लायंस रिपोर्ट दिनांक 04.07.23सर्टिफाइड कंप्लायंस रिपोर्ट जारी की गई।

21. **Case No. - 5780/2018** M/s. Fortune Soumya Santoza, C/o Fortune Soumya Housing, Bagli, Behind C-21 Mall, Bhopal, MP – 462016. Prior E C for Construction of Group Housing Project "Fortune Soumya Heritage" Khasra No. – 99/2, 122, 123, 132, 133, 134, 135/2, 136 to 162, at Village - Bhairopur, Tehsil - Huzur & Dist. - Bhopal, (M.P.). Total Project Area = 43981.27 sqm., Built up Area = 59892.30 sqm). Category: 8(a).

- SEAC . की बैठक 434 दि0. 20/05/2020. में की गई बैंक ग्यारंटी रू 23,33,798.00 (रू. तेईस लाख तैतीस हजार सात सौ अनठानबे मात्र) के पर्यावरणीय स्वीकृति की अनुशंसा को मान्य करते हुए SEIAA की बैठक . 629 दि0. 24/07/2020 में लिए गए निर्णय के अनुसार एस.ई.आई.ए. का पत्र क0. 2021 दि0. 07/08/2020 के माध्यम से को इस परियोजना को MPSEIAA द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी।

- MoEF & CC द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 08.03.2018 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार रेमेडिएशन प्लान के implementation को एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिनांक 21.02.23 को स्थल निरिक्षण कर रेमेडिएशन प्लान के implementation के सन्दर्भ में सर्टिफाइड कंप्लायंस रिपोर्ट दिनांक 01.08.23सर्टिफाइड कंप्लायंस रिपोर्ट जारी की गई।

22. **Case No. - 7523/2020** Shri Abhishek Jain, General Manager, M/s S.V. Infra Developers, First Floor, E-5/16, Commercial, Arera Colony, Bhopal (M.P.) 462016. Prior E C for "Premier Orchard " ProjectTotal Plot Area - 85660 sqm., Total Built-up Area – 74704.89 sqm at Khasra No. 6/1, 6/2, Village - Raslakheri, Tehsil - Huzur & Dist. - Bhopal (M.P.) Category: 8(a) Project.

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरणों के परीक्षण के दौरान पाया गया कि SEAC द्वारा प्रकरण क्र. 5708, 5738, 5780, 7523 में बैंक गारंटी विमुक्त किये जाने हेतु की गई अनुशंसा के साथ प्रकरण क्र. 5708 एवं 7523 का निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यवाही विवरण के साथ संलग्न नहीं किया गया है। अतः प्राधिकरण द्वारा विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि SEAC की 716 वी बैठक दिनांक 23.01.2024 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण क्र. 5738 एवं 5780 में बैक गारंटी विमुक्त की जाती है तथा शेष 02 प्रकरण 5708 एवं 5723 में SEAC से निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत आगामी कार्यवाही की जायेगी। तदानुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

(संजीव सिंह)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अतिरिक्त एजेण्डा

23. Proposal No. SIA/MP/MIN/456137/2024 प्रकरण क्रमांक 7881/2020 – पूर्व परियोजना प्रस्तावक श्री संतोष कुमार जैन आत्मज स्व. श्री राजेन्द्र कुमार जैन, निवासी– जैन मंदिर गली, शास्त्री वार्ड, तहसील व जिला सागर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, रकबा 1.00 हे. उत्पादन क्षमता 5226 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 285/1, ग्राम गुढ़ा, तहसील सागर, जिला सागर (म.प्र.) को जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति को नवीन परियोजना प्रस्तावक श्री शक्तिपाल सिंह सूरी आत्मज स्व. श्री एम.एस. सूरी, निवासी–पदमाकर नगर, मकरोनिया, जिला सागर (म.प्र.) के नाम पर हस्तांतरण करने हेतु आवेदन बावत्।

नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं :–

I. पूर्व परियोजना **श्री संतोष कुमार जैन आत्मज स्व. श्री राजेन्द्र कुमार जैन, निवासी– जैन मंदिर गली, शास्त्री वार्ड, तहसील व जिला सागर** (म.प्र.), द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक **श्री शक्तिपाल सिंह सूरी आत्मज स्व. श्री एम.एस. सूरी, निवासी–पदमाकर नगर, मकरोनिया, जिला सागर** (म.प्र.) के नाम पर पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरित करने हेतु नोटराईज्ड शपथ पत्र पर अनापत्ति प्रस्तुत की गई है। जिसमें उल्लेख किया गया है कि पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित शर्तो का परिपालन सुनिश्चित किया गया है व किसी भी नियम का उलंघन नही किया गया है तथा उक्त रेत खदान के संबध मे कोई भी वाद–विवाद न्यायालय में प्रचलन में नहीं है।

II. नवीन परियोजना प्रस्तावक **श्री शक्तिपाल सिंह सूरी आत्मज स्व. श्री एम.एस. सूरी, निवासी–पदमाकर नगर, मकरोनिया, जिला सागर** (म.प्र.) के शपथ पत्र में उल्लेख किया गया है कि उक्त खदान में आज दिनांक तक कोई भी वाद– विवाद न्यायालय में प्रचलन में नहीं है एवं जारी की गई पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित समस्त शर्तो का परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा। नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति संलग्न है।

III. एसईआईएए द्वारा पत्र क्र 5660/SEIAA/2021 दिनांक 13.01.2021 के माध्यम से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति।

IV. NABET से अधिकृत पर्यावरण सलाहकार द्वारा तैयार की पर्यावरण प्रबंधन योजना (EMP) की प्रति।

V. नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा पत्र दिनांक 04.05.2023 के माध्यम से हस्तांतरित अनुमोदित खनन योजना की प्रति।

VI. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) सागर द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम से जारी लीज हस्तांरण आदेश क. 236 दिनांक 10.02.2023 (वैधता 07.03.2029 तक) की प्रति।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में ईआईए अधिसूचना 2006 (पैरा–11) के अनुसार पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण हेतु प्रस्तुत उपरोक्त दस्तावेजों के परीक्षण एवं पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि पूर्व परियोजना प्रस्तावक श्री संतोष कुमार जैन आत्मज स्व. श्री राजेन्द्र कुमार जैन, निवासी– जैन मंदिर गली, शास्त्री वार्ड, तहसील व जिला सागर (म.प्र.), को पत्थर खदान, रकबा 1.00 हे. उत्पादन क्षमता 5226 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 285/1, ग्राम गुढ़ा, तहसील सागर, जिला सागर (म.प्र.) की जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति को नवीन

(संजीव सिंह)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

परियोजना प्रस्तावक श्री शक्तिपाल सिंह सूरी आत्मज स्व. श्री एम.एस. सूरी, निवासी–पदमाकर नगर, मकरोनिया, जिला सागर (म.प्र.) के नाम निम्नानुसार अतिरिक्त शर्तो के साथ हस्तांतरित किया जाता है :–

I. उपरोक्त पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 13.01.2021 में निहित विशिष्ट एवं साधारण समस्त शर्तें यथावत रहेगी तथा पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) सागर द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम से जारी लीज हस्तांरण आदेश क्र. 236 दिनांक 10.02.2023 के अनुसार दिनांक 07.03.2029 तक वैध मान्य रहेगी।

II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त विशिष्ट एवं साधारण शर्तों अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित किया जाये एवं भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ईआईए अधिसूचना 2006 एवं कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 14.06.2022 में निर्धारित प्रावधान एवं प्रक्रिया अनुसार शर्तों का छःमाही अनुपालन प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से परिवेश पोर्टल अपलोड किया जाये एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भी प्रेषित किया जाये।

III. SEIAA द्वारा रेत खनन के प्रकरणों में जारी की जाने वाली समस्त पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।

तदानुसार सर्व संबंधितो को सूचित किया जाये।

24. Proposal No. SIA/MP/MIN/456114/2024 प्रकरण क्रमांक 7302/2020 – पूर्व परियोजना प्रस्तावक श्री गजेन्द्र सिंह परमार, निवासी–कडराना, तहसील चंदेरी, जिला अशोकनगर (म.प्र.) द्वारा ग्रेनाईट खदान, रकबा 4.00 हे. उत्पादन क्षमता 2250 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 669, ग्राम बडेरा, तहसील चंदेरी, जिला अशोकनगर (म.प्र.) **को जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति को नवीन परियोजना प्रस्तावक श्री युवराज सिंह आत्मज श्री अमर सिंह, निवासी–वार्ड नं. 3, फूटा कुंआ चंदेरी, जिला अशोकनगर (म.प्र.) के नाम पर हस्तांतरण करने हेतु आवेदन बावत्।**

नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं :–

I. पूर्व परियोजना **श्री गजेन्द्र सिंह परमार, निवासी–कडराना, तहसील चंदेरी, जिला अशोकनगर** (म.प्र.), द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक **श्री युवराज सिंह आत्मज श्री अमर सिंह, निवासी–वार्ड नं. 3, फूटा कुंआ चंदेरी, जिला अशोकनगर** (म.प्र.) के नाम पर पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरित करने हेतु नोटराईज्ड शपथ पत्र पर अनापत्ति प्रस्तुत की गई है। जिसमें उल्लेख किया गया है कि पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित शर्तो का परिपालन सुनिश्चित किया गया है व किसी भी नियम का उलंघन नही किया गया है तथा उक्त रेत खदान के संबध मे कोई भी वाद–विवाद न्यायालय में प्रचलन में नहीं है।

II. नवीन परियोजना प्रस्तावक **श्री युवराज सिंह आत्मज श्री अमर सिंह, निवासी–वार्ड नं. 3, फूटा कुंआ चंदेरी, जिला अशोकनगर** (म.प्र.) के शपथ पत्र में उल्लेख किया गया है कि उक्त खदान में आज दिनांक तक कोई भी वाद– विवाद न्यायालय में प्रचलन में नहीं है एवं जारी की गई पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित समस्त शर्तो का परिपालन सुनिशिचित किया जायेगा। नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति संलग्न है।

(संजीव सिंह)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

III. एसईआईएए द्वारा पत्र क्र 2675/SEIAA/2020 दिनांक 08.09.2020 के माध्यम से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति।

IV. NABET से अधिकृत पर्यावरण सलाहकार द्वारा तैयार की पर्यावरण प्रबंधन योजना (EMP) की प्रति।

V. नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा पत्र दिनांक 07.09.2022 के माध्यम से हस्तांतरित अनुमोदित खनन योजना की प्रति।

VI. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) अशोकनगर द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम से जारी लीज हस्तांरण आदेश क. 475 दिनांक 12.01.2021 (वैधता 07.05.2028 तक) की प्रति।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण **(SEIAA)** द्वारा प्रकरण में ईआईए अधिसूचना 2006 **(पैरा–11)** के अनुसार पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण हेतु प्रस्तुत उपरोक्त दस्तावेजों के परीक्षण एवं **पर्यावरणीय** मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि पूर्व परियोजना प्रस्तावक **श्री गजेन्द्र सिंह परमार, निवासी–कडराना, तहसील** चंदेरी, जिला अशोकनगर (म.प्र.), को ग्रेनाईट खदान, **रकबा 4.00 हे. उत्पादन क्षमता 2250 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 669, ग्राम बडेरा, तहसील चंदेरी,** जिला अशोकनगर (म.प्र.) की जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति को नवीन परियोजना प्रस्तावक **श्री** युवराज सिंह आत्मज श्री अमर सिंह, निवासी–वार्ड नं. 3, फूटा कुंआ चंदेरी, जिला अशोकनगर (म.प्र.) के नाम निम्नानुसार अतिरिक्त शर्तो के साथ हस्तांतरित किया जाता है :–

I. **उपरोक्त पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 13.01.2021 में निहित विशिष्ट एवं साधारण समस्त शर्ते यथावत रहेगी तथा पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) अशोकनगर द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम से जारी लीज हस्तांरण आदेश क. 475 दिनांक 12.01.2021 के अनुसार दिनांक 07.05.2028 तक वैध मान्य रहेगी।**

II. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त विशिष्ट एवं साधारण शर्तों अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित किया जाये एवं भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ईआईए अधिसूचना 2006 एवं कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 14.06.2022 में निर्धारित प्रावधान एवं प्रक्रिया अनुसार शर्तों का छःमाही अनुपालन प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से परिवेश पोर्टल अपलोड किया जाये एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भी प्रेषित किया जाये।**

III. SEIAA द्वारा रेत खनन के प्रकरणों में जारी की जाने वाली समस्त पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।

तदानुसार सर्व संबंधितो को सूचित किया जाये।

25. प्रकरण क्र. 10666/2023 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स श्री बांके बिहारी सरकार स्टोन क्रेशर, पार्टनर श्री दीपक गोयल आत्मज राजेन्द्र प्रसाद गोयल, 154, डिफेन्स स्टेट फेस –1 बूंदू कटरा, ग्वालियर रोड, जिला आगरा (उ.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 30000, रकबा 1.50 हेक्टेयर, खसरा 2034, ग्रम बिलहेती, तहसील गिर्द, जिला ग्वालियर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

(संजीव सिंह)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 719वी बैठक दिनांक 29.01.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि आवेदन मेसर्स श्री बांके बिहारी सरकार स्टोन केशर, पार्टनर श्री दीपक गोयल आत्मज राजेन्द्र प्रसाद गोयल द्वारा किया गया है परन्तु आवेदन में प्रस्तुत समस्त दस्तावेज मेसर्स श्री बांके बिहारी सरकार स्टोन केशर, पार्टनर श्री राजकुमार मंगल के नाम से है। चूंकि आवेदन में पार्टनरशिप डीड प्रस्तुत नही की गयी है, जिसके कारण प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक कौन है यह स्पष्ट नही है।

अतः प्रकरण में यदि श्री दीपक गोयल आत्मज राजेन्द्र प्रसाद गोयल एवं श्री राजकुमार मंगल पार्टनर है, तो उनके मध्य हुई पार्टनरशिप डीड के दस्तावेज परिवेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। तबतक प्रकरण को Delist किया जाता है, तदानुसार परियोजना प्रस्तावक व सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईमेल दिनांक 04.03.2024 के माध्यम से प्राधिकरण के उपरोक्त निर्णयानुसार जानकारी प्रस्तुत कर पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी जाने का अनुरोध किया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी को मान्य करते हुए प्रकरण को Relist किया जाता है एवं प्रकरण में SEAC की 701वी बैठक दिनांक 15.12.2023 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा **को मान्य करते हुए** प्राधिकरण की निम्नलिखित **अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–**

(i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला ग्वालियर का आदेश क्र. 7200 दिनांक 25.02..2020 अनुसार लीज की शेष अवधि दिनांक 01.07.2028 तक हेतु अंतरण स्वीकृति प्रदान की गई है। अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 01.07.2028 तक वैध मान्य रहेगी।

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **पक्की सड़क न्यूनतम 100 मीटर तक**" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(iii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग एवं विस्फोटक का प्रयोग नहीं किया जायेगा एवं खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग ना किये जाने का प्रदर्शन डिस्प्ले बोर्ड पर किया जावे।**

(iv) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद वृक्षों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।**

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(संजीव सिंह)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

26. प्रकरण क्र. 10580/2023 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स ठाकुर स्टोन केशर, पार्टनर श्री अनूप राजेन्द्र सिंह सोमवंशी, निवासी– ग्राम चिकलदरा जिला अमरावती (महाराष्ट्र) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 20318 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.50 हेक्टेयर, खसरा 10/2, ग्राम झल्लार, तहसील भैंसदेही, जिला बैतूल (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) 835 वी बैठक दिनांक 29.02.2024 में प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त प्रकरण के परीक्षण के दौरान पाया गया कि प्रकरण में अधिरोपित विशिष्ट शर्त क्र. 1 अनुसार *"कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) बैतूल का आशय पत्र क्र. 9813 दिनांक 29.03.2023 के माध्यम से दिनांक 07.10.2018 से दिनांक 06.10.2028 तक (10 वर्ष) की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक 06.10.2028 वैध मान्य रहेगी"* के स्थान पर *कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) बैतूल का आदेश क्र. 366 दिनांक 24.02.2023 अनुसार लीज की अवधि दिनांक 24.03.2027 स्वीकृत है।*

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) प्रकरण मे अधिरोपित विशिष्ट शर्त क्र. 1 अनुसार *"कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) बैतूल का आशय पत्र क्र. 9813 दिनांक 29.03.2023 के माध्यम से दिनांक 07.10.2018 से दिनांक 06.10.2028 तक (10 वर्ष) की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक 06.10.2028 वैध मान्य रहेगी"* के स्थान पर *कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) बैतूल का आदेश क्र. 366 दिनांक 24.02.2023 अनुसार लीज की अवधि दिनांक 24.03.2027 स्वीकृत है, : यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक 24.03.2027 तक वैध मान्य रहेगी* पठन किये जाने का संशोधन किया जाता है। तदानुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

27. प्रकरण क्र. 10731/2023 – परियोजना प्रस्तावक मेसर्स संगीता ठाकुर, निवासी ग्राम बम्हानी, तहसील अमला, जिला बैतूल (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता गिट्टी 5255, घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.00 हेक्टेयर, खसरा नं. 190/2, ग्राम ब्रहमवाड़ा, तहसील आवला, जिला बैतूल (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) 836 वी बैठक दिनांक 01.03.2024 में प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त प्रकरण के परीक्षण के दौरान पाया गया कि प्रकरण में अधिरोपित विशिष्ट शर्त क्र. 1 अनुसार *"कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) बैतूल के आदेश क्र. 1761 दिनांक 24.11.2016 के माध्यम से 10 वर्ष की अवधि हेतु सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक 23.11.2026 तक वैध मान्य रहेगी।"* के स्थान पर *कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) बैतूल का आदेश क्र. 482 दिनांक 18.04.2017 अनुसार लीज की अवधि 10 वर्ष हेतु स्वीकृत है।*

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) प्रकरण मे अधिरोपित विशिष्ट शर्त क्र. 1 अनुसार *"कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) बैतूल के आदेश क्र. 1761 दिनांक 24.11.2016 के माध्यम से 10 वर्ष की अवधि हेतु सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक 23.11.2026 तक वैध मान्य रहेगी।"* के स्थान पर *कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) बैतूल का आदेश क्र. 482 दिनांक 18.04.2017 अनुसार लीज की अवधि 10 वर्ष हेतु स्वीकृत है, अत यह पर्यावरण स्वीकृति दिनांक 17.04.2027 तक वैध मान्य रहेगी* का पठन किये जाने का संशोधन किया जाता है। तदानुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

(संजीव सिंह)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष